

हिमाचल प्रदेश सरकार
परिवहन विभाग

संख्या:टी.पी.टी-एफ(2)-4/2019-III-लूज तारीख:शिमला-171002 18/2/2022

अधिसूचना

भानुपल्ली-बिलासपुर बेरी, नई ब्रॉड गेज रेल लाइन परियोजना के निर्माण के लिए “भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” के अधीन निजी भूमि को अधिगृहीत किया जाना अपेक्षित है;

उपर्युक्त परियोजना के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन और विशेषज्ञ समूह मूल्यांकन संचालित किया गया है;

कुछ परिवारों का भूमि के ऐसे अधिग्रहण के कारण अनैच्छिक विस्थापन हो सकता है और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 43(1) के उपबंधों के अधीन ऐसे परिवारों का पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित है, जिसके लिए परियोजना हेतु पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए कोई प्रशासक नियुक्त किया जाना अपेक्षित है;

और इस प्रकार नियुक्त प्रशासक कोई सर्वेक्षण संचालित करेगा और प्रभावित परिवारों की जनगणना ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर करेगा, जैसे पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 16 के अधीन विहित की जाए;

और उक्त धारा की उपधारा (2) और (3) में यथाविनिर्दिष्ट कृत्यों का पालन करने हेतु सरकार द्वारा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए आयुक्त नियुक्त किया जाना अपेक्षित है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 43(1) और 44 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परियोजना के लिए क्रमशः अतिरिक्त उपायुक्त, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को प्रशासक तथा मण्डलायुक्त, मण्डी, हिमाचल प्रदेश को आयुक्त, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन नियुक्त करते हैं।




आदेश द्वारा,

आर.डी.नजीम
प्रधान सचिव (परिवहन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या:टीपीटी-एफ (2)-4/2019-III-लूज दिनांक, शिमला 171002 18/2/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित है:-

1. प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
2. निदेशक परिवहन, परिवहन भवन, हिमाचल प्रदेश शिमला-171004 को हिंदी और अंग्रेजी में अधिसूचना की सॉफ्ट कॉपी सहित इस आशय के साथ प्रेषित है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।
3. अध्यक्ष, सामाजिक सामाधान निर्धारण इकाई, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान फेअरलान, शिमला-171012.
4. मण्डलायुक्त मण्डी जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश।
5. निदेशक, रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन (आरटीडीसी), यूएस क्लब, शिमला 171001 को हिंदी और अंग्रेजी में अधिसूचना की सॉफ्ट कॉपी सहित इस आशय के साथ प्रेषित है कि इसे सीमित की वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002।
7. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0 शिमला-171005।
8. उपायुक्त, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या: LAO(Railway)Bilaspur-I/2020-131-32 दिनांक 17.2.2022 के संदर्भ में अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आगामी कार्रवाई हेतु।
9. अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
10. मुख्य महाप्रबंधक, आरवीएनएल, रेलवे भर्ती बोर्ड भवन, रेलवे कॉलोनी, नया रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ 160062।
11. उपमण्डल अधिकारी नागरिक, सदर बिलासपुर/श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर को अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आगामी कार्रवाई हेतु।
12. भू अर्जन अधिकारी रेलवे बिलासपुर हि0प्र0 को अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आगामी कार्रवाई हेतु।
13. तहसीलदार, सदर बिलासपुर/श्री नैना देवीजी (स्वारघाट), जिला बिलासपुर को अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आगामी कार्रवाई हेतु।
14. रक्षक नस्ति।



(प्यारे लाल मास्टा)
अवर सचिव (परिवहन),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(Authoritative English Text of this Department Notification No. TPT-F(2)-4/2019-III-loose dated 18-2-2022 as required under article 348(3) of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Department of Transport

No. TPT-F(2)-4/2019-III-loose Dated: Shimla-171002, the 18/2/2022

NOTIFICATION


Whereas, for the construction of Bhanupali – Bilaspur Beri New Broad Gauge Railway Line Project, private land in District Bilaspur is required to be acquired under “The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013” ;

And whereas, the Social Impact Assessment study and Expert Group appraisal has been conducted for the above Project;

And whereas, some families may be displaced involuntary due to such acquisition of land and under the provisions of section 43(1) of the Act *ibid*, the Resettlement and Rehabilitation of such families is required to be done for which an Administrator for Rehabilitation and Resettlement is required to be appointed for the project;

And whereas, the Administrator so appointed shall conduct a survey and undertake a census of the affected families, in such manner and within such time, as may be prescribed under section 16 of the Act *ibid*;

And whereas, under section 44 of the Act *ibid*, the Commissioner for Rehabilitation and Resettlement is required to be appointed by the Government for discharging the functions as specified in sub-sections (2) and (3) of the said section;




Now therefore, in exercise of the powers conferred under sections 43(1) and 44 of the Act ibid, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint Additional Deputy Commissioner, Bilaspur, Himachal Pradesh as Administrator and Divisional Commissioner, Mandi, Himachal Pradesh as Commissioner for Rehabilitation and Resettlement respectively for the above project.

By Order,

R.D.Nazeem
Pr. Secretary (Transport) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. As above Dated, Shimla 171002, the 18/2/ 2022

Copy forwarded for information & necessary action to:-

1. The Pr. Secretary (Revenue) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-171002.
2. The Director of Transport, Himachal Pradesh Parivahan Bhawan, Shimla-171004 alongwith soft copy of notification in Hindi & English to upload the same on departmental Website.
3. The Chairman SIAU-cum-Director, HIPA, Fairlawns, Shimla.
4. The Divisional Commissioner, Mandi HP.
5. The Director, Ropeway and Rapid Transport Development System Corporation (RTDC), U.S. Club, Shimla-171001 (HP) for uploading same website of RTDC.
6. The Director, Public Information and Public Relation, Himachal Pradesh, Shimla-171002.
7. The Controller, Himachal Pradesh State Printing & Stationary Department, Shimla-171005 (E-Gazette).
8. The Deputy Commissioner, District Bilaspur HP with reference to his letter No.LAO(Railway)Bilaspur-I/2020-131-32 dated 17-2-2022 for necessary action as per provisions of Act ibid.
9.  The Additional Deputy Commissioner, Bilaspur, District Bilaspur, HP.
10. The Chief Project Manager, RVNL Chandigarh.
11. The Sub Divisional Magistrate, Sadar/Shri Naina Deviji at Swarghat,

- Distt. Bilaspur HP for necessary action as per provisions of Act ibid.
12. The Land Acquisition Officer (Railway), Bilaspur, District Bilaspur HP for necessary action as per provisions of Act ibid.
 13. Tehsildar, Sadar/ Shri Naina Deviji (Swarghat) for necessary action as per provisions of Act ibid.
 14. Guard file.



(Pyare Lal Masta)

Under Secretary(Transport) to the
Government of Himachal Pradesh.